न्यायालय सिविल जज जू0डि0, खलीलाबाद स्थान– बस्ती
मूलवाद सं0 883/1996
हरीराम बनाम करमराज

28.02.2019

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 60क2 पर सुना–

प्रार्थनापत्र 60क2 वादी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दौरान मुकदमा प्रतिवादी सं0 2 बैजनाथ उर्फ बाबूराम की मृत्यु दिनांक 15.05.2017 को हो गई है। उनके जायज व कानूनी वारिस उनके पुत्रगण एवं उनकी विधवा हैं। अतः मृतक के विधिक वारिसानों को वादपत्र में प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रार्थनापत्र 62ग2 वादी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी ग्रामीण क्षेत्र का अनपढ़ व्यक्ति है। कायदा कानून की जानकारी नहीं है। इसलिए वरासत प्रार्थनापत्र निर्धारित समय के अन्दर प्रस्तुत नहीं कर सका। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का लाभ देकर, अवेटमेन्ट को मंसूख करके दरख्वास्त वरासत को स्वीकार किया जाना आवश्यक है।

प्रतिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र पर मौखिक आपत्ति की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि प्रार्थनापत्र 60क2 प्रतिवादी सं0 2 बैजनाथ उर्फ बाबूराम की मृत्यु दिनांक 15.05.2017 को दौरान मुकदमा होने के फलस्वरूप वादपत्र में कार्यवाही वरासत किये जाने के आशय से दिया गया है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। वादी द्वारा विलंब की बावत प्रार्थनापत्र 62ग2 प्रस्तुत करते हुए धारा 5 कानून अधिनियम की मियाद देने की बात कही गई। वादी को धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का लाभ देने का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है। अतः न्यायालय की राय में, प्रतिवादी द्वारा उठायी गयी आपत्ति के दृष्टिगत प्रार्थनापत्र 62ग2 हर्जे पर स्वीकार करते हुए प्रार्थनापत्र 60क2 न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 62ग2 मु0 100/–रूपए हर्जे पर स्वीकार करते हुए प्रार्थनापत्र 60क2 स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक संशोधन अंदर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त वादोत्तर/अतिरिक्त वादबिन्दु दिनांक 28.03.2019 को पेश हो।

सिविल जज जू0डि0,
खलीलाबाद, स्थान–बस्ती